

=====

माला देवी, पत्नी-राजेंद्र मिश्री निवासी वार्ड नं. 12, मदार घाट कस्बा, पुलिस थाना कस्बा, जिला पूर्णिया
854330

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, पूर्णिया प्रभाग, पूर्णिया।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्णिया।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रतिष्ठान, पूर्णिया।
7. जिला लेखा अधिकारी, पूर्णिया।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ए. सी. पी.) स्कीम/मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (एम. ए. सी. पी.)-विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना ए. सी. पी. नियमों के तहत ए. सी. पी. के अनुदान के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं है और न ही बिहार बोर्ड के विविध नियमों के नियम 157 (3) (जे.) में ऐसी आवश्यकताओं की कल्पना की गई है- पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए आवश्यक शिक्षा योग्यता इन यथास्थान पदोन्नति के अनुदान के लिए आवश्यक नहीं है-ए. सी. पी. का अनुदान वास्तव में पदोन्नति का अनुदान नहीं है, बल्कि कर्मचारी को पद पर बनाए रखने के लिए अगले उच्च ग्रेड तक वेतनमान में वृद्धि-ए. सी. पी. का उद्देश्य है ठहराव से बचने के लिए जहां पदोन्नति के कोई रास्ते उपलब्ध नहीं हैं-विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट की तारीख से याचिकाकर्ता को एसीपी/एमएसीपी का अनुदान गलत है और कानून में टिकाऊ नहीं है।

संदर्भित मामले:

- i) 2015 का एल. पी. ए. सं. 599 (रामधर ठाकुर बनाम बिहार राज्य)
- ii) सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 17632/2013 (राजेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य)
- iii) (2020) 2 बी. एल. जे. 471 (बिहार राज्य और अन्य बनाम श्रीमती. जीवची देवी)
- iv) 2019 का एस. एल. पी. (सी) सं. 8219-8226 (अमरेश कुमार सिन्हा) और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य)

पटना में के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला No.3861

माला देवी, पत्नी-राजेंद्र मिश्री निवासी वार्ड नं. 12, मदार घाट कस्बा, पुलिस थाना कस्बा, जिला पूर्णिया 854330

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार सरकार, पटना।
4. शिक्षा के क्षेत्रीय उप निदेशक, पूर्णिया प्रभाग, पूर्णिया।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्णिया।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रतिष्ठान, पूर्णिया।
7. जिला लेखा अधिकारी, पूर्णिया।

..... उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राकेश प्रभात अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मदन जीत कुमार, जी.पी.-20

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

तारीख:22-01-2024

1. पार्टियों को सुना।
2. याचिकाकर्ता पत्र सं.460, दिनांकित 09.08.2019 के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक, पूर्णिया के कार्यालय में 02.06.1999 को क्लर्क के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें प्रथम एम. ए. सी. पी. 31.08.2018 यानी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट की तारीख के प्रभाव से प्रदान किया गया था। इसके तुरंत बाद, पत्र नं. 733 दिनांक 22.10.2019 के माध्यम से, पहले एम ए सी पी के अनुदान की तारीख को 02.06.2009 में संशोधित किया गया था, यानी याचिकाकर्ता की दस साल की सेवा पूरी करना। याचिकाकर्ता को दूसरा एम. ए. सी. पी. पत्र नं. 98 दिनांकित 29.01.2021 02.06.2019 से प्रभावी है अर्थात् शामिल होने की प्रारंभिक तिथि के 20 वर्षों के बाद।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि जिला लेखा अधिकारी, आर. डी. डी. ई., पूर्णिया द्वारा उठाई गई आपत्ति पर पत्र संख्या। 1100 दिनांक 11.10.2022 (अनुलग्नक-4) के माध्यम से पहले एम ए सी पी की तारीख को 31.08.2018 के प्रभाव से संशोधित किया और तदनुसार दूसरा एम ए सी पी वापस ले लिया गया/रद्द कर दिया गया। विद्वान वकील आगे समर्पित करते हैं कि **2015 की एल.पी.ए. सं. 599 में इस न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांकित 19.03.2018 (रामाधार ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में अभिनिर्धारित किया है कि विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना न तो ए. सी. पी. नियमों और न ही बिहार बोर्ड के विविध नियमों के नियम 157 (3) (जे) के तहत आश्वस्त कैरियर प्रगति के अनुदान के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं है।
4. इस न्यायालय ने **राजकेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य (सी.डब्लू.जे.सी. सं.17632/2013)** के मामले में एम ए सी पी अनुदान के संबंध में इसी प्रकार के प्रश्नों में भी निर्णय लिया है एवं रामाधार ठाकुर(ऊपर) में खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह माना है कि ए सी पी अनुदान हेतु विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।
5. दूसरी ओर राज्य के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि याचिकाकर्ता को ए. सी. पी./एम. ए. सी. पी. के अनुदान के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उसे 31.08.2018 के प्रभाव से छूट दी गई थी, जिसके कारण पहले एम. ए. सी. पी. से उत्पन्न होने

वाला वास्तविक मौद्रिक लाभ याचिकाकर्ता को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट की तारीख से यानी 31.08.2018 से प्रदान किया गया है और सेवा में 20 साल पूरे होने से पहले, याचिकाकर्ता 31.07.2022 को सेवानिवृत्त हो गया है, इसलिए, दूसरा एम. ए. सी. पी. वापस ले लिया गया है।

6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु एसीपी/एम. ए. सी. पी. के अनुदान के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है या नहीं। 2015 के एल. पी. ए. सं. 599 में इस न्यायालय की खंड पीठ ने **2015 की एल पी ए सं.599 दिनांक 19.03.2018 (रामधर ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य)** में अभिनिर्धारित किया है कि विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना ए. सी. पी. नियमों के तहत आश्वस्त कैरियर प्रगति के अनुदान के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त नहीं है और न ही बिहार बोर्ड के विविध नियमों के नियम 157 (3) (जे) ऐसी आवश्यकता की कल्पना करता है।
7. **2020(2) बी एल जे 471(बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीमती जीवाची देवी)** में प्रतिवेदित एक अन्य खंड पीठ निर्णय में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि राज्य कर्मचारी को वित्तीय प्रगति के लाभों से इस आधार पर इनकार (इनकार) करना उचित नहीं है कि उसने लेखा परीक्षा या विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
8. **अमरेश कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में धारक 2019 की एस एल पी(सी) सं. 8219-8226** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि पदोन्नति के उद्देश्यों हेतु भर्ती नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं की पूर्ति गैर-कार्यात्मक स्वस्थाने पदोन्नति हेतु अनिवार्य नहीं है। दूसरे शब्दों में पदोन्नति के उद्देश्य हेतु अपेक्षित शैक्षणिक अहर्ताएँ स्वस्थाने पदोन्नति अर्थात् मात्र मैट्रिक लाभ बढ़ाने हेतु एवं जहाँ कोई पदोन्नति का मार्ग नहीं है एवं कर्मचारियों के ठहराव की संभावना है।
9. उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि एसीपी का उद्देश्य ठहराव से बचना है जहां पदोन्नति के कोई रास्ते उपलब्ध नहीं हैं। ए. सी. पी. का अनुदान वास्तव में पदोन्नति का अनुदान नहीं है। लेकिन वेतनमान को अगले उच्च ग्रेड तक बढ़ाते हुए कर्मचारी को उसके द्वारा धारण किए गए

पद पर बनाए रखना। यह केवल किसी भी वरिष्ठता को बाधित किए बिना या किसी उच्च पद पर पदोन्नति को प्रभावित किए बिना मौद्रिक लाभ देने के लिए है ताकि किसी विशेष पद या वेतनमान पर बहुत लंबी अवधि के लिए ठहराव से बचा जा सके।

10. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और उपरोक्त चर्चा पर विचार करने के बाद और इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्धारित कानून और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, याचिकाकर्ता को विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट की तारीख से ए. सी. पी./एम. ए. सी. पी. का अनुदान गलत है और कानून में टिकाऊ नहीं है।
11. ए. सी. पी. या एम. ए. सी. पी. का अनुदान स्वस्थाने पदोन्नति में है जिसमें कर्मचारियों को लंबी अवधि की सेवा के लिए केवल वित्तीय उन्नयन दिया जाता है और ठहराव से बचने के लिए, इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं.4 द्वारा याचिकाकर्ता को अनुदत्त दूसरा ए सी पी का निवर्तन टिकाऊ नहीं है।
12. तदनुसार, अनुलग्नक 4 में विवादित पत्र संख्या 1100 दिनांकित 11.10.2022 को अलग कर दिया गया है और याचिकाकर्ता उसे दिए गए पहले एम. ए. सी. पी. की तारीख से वास्तविक मौद्रिक लाभ के भुगतान का हकदार। 02.06.2009 के प्रभाव से एवं द्वितीय एम ए सी पी 02.06.2019 के प्रभाव से। तदनुसार, प्रत्यर्थी को इस आदेश की प्रति पेश करने/प्राप्त करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को 02.06.2009 के प्रभाव से और 02.06.2019 को परिणामी लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
13. परिणामस्वरूप, इस रिट आवेदन की अनुमति है।
14. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

श्वेता/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।